2

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 22/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री प्रहलाद पुत्र श्री मंशाराम वार्ड नं0 3 खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।

——प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—26.04.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई जाने पर अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु यह अपील की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र कमांक 487 दिनांक 09.04.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र कमांक 487 दिनाक 09.04.2018 के साथ पत्र कमांक 407 दिनांक 20.03.2018 की फोटो कापी का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह सूचना दिया जाना पाया गया कि नियमानुसार शुल्क जमा करवा कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ